भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 64
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 03 फरवरी, 2025
14 माघ, 1946 (शक)

राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की अधिसूचना

64. डॉ मन्ना लाल रावत:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अधिसूचनाएं किन तारीखों को जारी की गई तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) राष्ट्रीय महत्व के अधिसूचित स्मारकों को गैर-अधिसूचित करने के क्या प्रावधान हैं;
(ग) क्या सरकार देवसोमनाथ मंदिर, डूंगरपुर (राजस्थान) को पुरातात्विक स्थलों की सूची से गैर-अधिसूचित करने पर विचार कर रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) :प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत अधिसूचनाएं 27.09.1960 से जारी की गई हैं जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित हैं। ताज़ा अधिसूचना 10.12.2024 को प्रकाशित हुई थी।

(ख) :प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 की धारा 35 में यथापठित "यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि कोई प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक या पुरातत्वीय स्थल और अवशेष जिसका इस अधिनियम के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है, राष्ट्रीय महत्व का नहीं रह गया है, तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि, यथास्थिति, वह प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक या पुरातत्वीय स्थल और अवशेष इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय महत्व का नहीं रह गया है"।

(ग) :वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) :देव सोमनाथ, जिला डुंगरपुर (राजस्थान) स्थित सोमनाथ मंदिर राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, और यह भली-भांति परिरक्षित है।

*****